न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 06/2025 दायर दिनांक–07.01.2025

1. प्रहलाद पुत्र श्री ईशरराम
2. गोकुलचन्द पुत्र श्री रामूराम
3. नथू पुत्र रामूराम
4. रतनलाल पुत्र रामूराम
5. राजेन्द्र पुत्र बनवारी
6. ग्यारसी देवी पत्नी बनवारी
7. मंजू पुत्री बनवारी
8. मोनिका पुत्री बनवारी
9. पूजा पुत्री बनवारी समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

– **वादीगण**

बनाम

1. प्रकाश पुत्र मूलाराम
2. धर्मवीर पुत्र सांवरमल
3. रानी पत्नी हीरामल
4. सुनिता कुमारी पत्नी जगदीश
5. राहुल कुमार पुत्र जगदीश
6. गोरव कुमार पुत्र जगदीश
7. नेहा कुमारी पुत्री जगदीश
8. ठाकुर सिंह पुत्र रामेश्वरलाल
9. प्रेमचन्द पुत्र रामेश्वरलाल
10. विमला पुत्री रामेश्वरलाल
11. गीता देवी पुत्री रामेश्वरलाल
    समस्त जाति रैगर निवासीगण ग्राम चारा का बास तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनूं।
12. भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं (राज०)

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – श्री किशोर कुमार जांगिड़
वकील प्रतिवादी :– श्री प्रदीप कुमार झाझड़िया

दावा बाबत घोषणा व विभाजन

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 18.12.2025

वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश किया कि वाके राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू की सरहद में आरा[illegible] खसरा नम्बर 2918 रकबा 2.8700 है० स्थित है जिसे आगे वाद पत्र में सुविधा के लिए वादग्रस्त [illegible]जी [illegible]म से संबोधित किया गया है। उक्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की संयुक्त [illegible] की भूमि है।

वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित आराजी में 1/3 हि[illegible] वादी संख्या [illegible] के नाम से, [illegible] हिस्सा वादी संख्या 2 गोकुल के नाम से, 1/15 हिस्सा [illegible] नथू के नाम से, 1/15 हिस्सा [illegible] संख्या 4 रतनलाल के नाम से, 1/15 हिस्सा जमना पत्नी रामूराम [illegible]म से दर्ज है। उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से, 1/12 हिस्सा सावंरमल पुत्र मूलाराम के नाम से, 1/12 हिस्सा हीरा पुत्र मूलाराम के नाम से, 1/12 हिस्सा रामेश्वर पुत्र मूलाराम के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:35:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट, फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

जमना पत्नी रामू का स्वर्गवास हो चुका है जमना पत्नी रामू के 1/15 हिस्से की भूमि उनके पुत्र वादी संख्या 2, 3, 4 व मृतक पुत्र बनवारी की पत्नी व पुत्र पुत्रियों में न्यायगत हो गई है। इसलिए जमना पत्नी रामू के हिस्से की भूमि का वादी नं0 2 लगायत 8 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

उक्त भूमि में 1/15 हिस्सा सांवरमल पुत्र मूलाराम के नाम से दर्ज है सांवरमल पुत्र मूलाराम का स्वर्गवास हो चुका है तथा सांवरमल की पत्नी का भी स्वर्गवास हो चुका है जिनका एक मात्र उत्तराधिकारी प्रतिवादी सख्या 2 है जिसको सावंरमल के स्थान पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

हीरामल पुत्र मूलाराम के नाम से उक्त भूमि में 1/15 हिस्सा दर्ज है जिनका भी स्वर्गवास हो चुका है हीरामल की पत्नी रानी प्रतिवादी संख्या 3 है हीरामल के एक पुत्र जगदीश था जिसका भी स्वर्गवास हो गया जगदीश की पत्नी व पुत्र पुत्रियां प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 है। इसलिए हीरामल के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 7 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि में 1/12 हिस्सा रामेश्वर पुत्र मूलाराम के नाम से दर्ज है रामेश्वर पुत्र मूलाराम के विधिक उत्तराधिकारी प्रतिवादी नं. 8 लगायत 11 है। इसलिए रामेश्वर पुत्र मूलाराम के स्थान पर प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना आवश्यक है।

वादी नं0 2 का सही व शुद्ध नाम गोकुलचन्द पुत्र रामूराम है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में गोकुल पुत्र रामूराम गलत अंकित है। जिसे गोकुल पुत्र रामू के स्थान पर गोकुलचन्द पुत्र रामूराम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है।

इसलिए वाद पत्र में वर्णित आराजी में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 5 लगायत 8 शामिल में 1/12 हिस्से का एवं प्रतिवादी नं. 1 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 को शामिल में 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को शामिल में 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरुस्त किया जावें जिसके लिए उक्त वाद बाबत घोषणार्थ व दुरूस्ती रिकॉर्ड का श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

वादग्रस्त आराजी का वादी व प्रतिवादीगण के मध्य कभी भी विधिवत विभाजन नही हुआ है वादी व प्रतिवादीगण भूमि को संयुक्त रूप से काश्त करते है वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन नही होने से वादीगण को काश्त करने में व अन्य राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रहलादराम प्राप्त करने मे भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इसलिए वादग्रस्त आराजी का वादीगण व प्रतिवादीगण के घोषित हिस्से अनुसार बंटवारा किया जाना आवश्यक है। जिसके लिए उक्त वाद श्रीमानजी की सेवामें पेश है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा विधिवत विभाजन करवाने के लिए निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण विभाजन करवाने के लिए तैयार नही हुये इसलिए वादीगण को माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त वाद पेश करना आवश्यक हुआ।

वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 2918 रकबा 2.8700 है0 में वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 5 लगायत 9 को शामिल में 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को शामिल में 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को शामिल में 1/12 [illegible] किया जावें।

वादी द्वारा वाद–पत्र पेश होने बाद अवलोकन दर्ज [illegible] गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादीगण संख्या 01 [illegible] कुमार झाझड़िया ने वकालतनामा पेश किया। शेष प्रतिवादीगण [illegible] उपस्थित न्यायालय हाजा नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय [illegible]

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 11 की ओर से ज[illegible] दावा पेश नही करने पर तथा शेष प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में तनकीयात कायम नही की गई। वादी की ओर से शहादत वादी हेतु वादी प्रहलाद का चीफ का सपथ पत्र पेश किया। वादी ने अपने वाद–पत्र के समर्थन में दस्तावेजात नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 आदि दस्तावेज पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:35:02 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट (फास्ट-ट्रेक) नवलगढ़

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। वकील वादी ने वाद पत्र में दर्ज तथ्यों को दोहराया। वकील प्रतिवादी ने वाद अनुसार निर्णय किये जाने पर सहमति दी। बहस का मनन किया गया तथा पत्रावली का एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 2918 रकबा 2.8700 है0 भूमि का राजस्व रिकॉर्ड गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त किया जाकर वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 5 लगायत 9 को शामिल में 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को शामिल में 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को शामिल में 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित है। फलस्वरूप वाद वादी न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 2918 रकबा 2.8700 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 5 लगायत 9 को शामिल में 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को शामिल में 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को शामिल में 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय आज दिनांक 18.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:35:02 IST
Reason: SelfAttested

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़

मुकाम बईजलास सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)

दावा बाबत : घोषणार्थ

मुकदमा सं0:– 06/2025 **(प्रहलाद बनाम प्रकाश आदि)**

अंतिम पर्चा डिक्री

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादी मिनजानिब मुद्दई रूबरू मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 18.12.2025 निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है। राजस्व ग्राम चारा का बास पटवार हल्का परसरामपुरा तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं की सरहद में आराजी नये खसरा नम्बर 2918 रकबा 2.8700 है0 भूमि का वादी संख्या 1 को 1/3 हिस्से का, वादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 3 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 4 को 1/12 हिस्से का, वादी संख्या 5 लगायत 9 को शामिल में 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 1 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 2 को 1/12 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 3 को 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 5 लगायत 7 को शामिल में 1/24 हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 11 को शामिल में 1/12 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाने का आदेश तहसीलदार नवलगढ़ को दिया जाता है। तहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे।

बसक्षत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.12.2025 को जारी की गई।

सुशील कुमार सैनी (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) नवलगढ़

मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	06.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	12.00		0.00

Signature Not Verified

Digitally signed by Sushil Kumar Saini
Date: 2025.12.29 14:35:02 IST
Reason: SelfAttested